राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3834/2025

श्रीमती राजबीरी देवी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक भैंसरोडगढ, जिला चित्तौडगढ़।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 08.08.2025
आदेश की दिनांक : 21.08.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री देवेन्द्र कुमार भारद्वाज, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– पूनम दरगन, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रथम के पद पर कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक भैंसरोडगढ़, जिला चित्तौडगढ़ में कार्यरत है। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 03.08.2025 के द्वारा अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर किया गया है। अपीलार्थी के राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने में 1 वर्ष 11 माह का समय शेष है और उसे राजस्थान सेवा नियम के नियम 25ए के विरूद्ध आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है। आदेश दिनांक 04.08.2025 के द्वारा अपीलार्थी को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नीथऊवा, ब्लॉक सबला, जिला डूंगरपुर पदस्थापित किया गया। उनका तर्क है कि अपीलार्थी को इस प्रकार आदेशों की प्रतीक्षा में रखा जाना नियम 25ए के विपरीत है। अपीलार्थी की जन्मतिथि 02.07.1967 है और सेवानिवृत्ति में मात्र

1 वर्ष 11 माह का समय शेष है और उसके बावजूद भी अपीलार्थी को एपीओ के उपरांत अन्य दूसरे जिले में पदस्थापित किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा रेचलामा टीएस बनाम राजस्थान राज्य, डॉ. श्रीमती पुष्पा मेहता बनाम आरसीएसएटी व अन्य 2001(1) आरएलआर 198 व श्रीमती मंजुला पाठक बनाम राजस्थान राज्य एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 14577/2016 में पारित आदेश दिनांक 21.10.2016 जिसमें ऐसे कार्मिकों को आदेशों की प्रतीक्षा/पदस्थापन करना अनुचित माना है। अपीलार्थी के पति जो राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जो कई तरह की बीमारियों से पीडित हैं और उनका निरंतर उपचार चल रहा है, जिनकी देखभाल हेतु अपीलार्थी के अलावा अन्य कोई सदस्य नहीं है। परंतु अपीलार्थी की कठिनाइयों को नजरअंदाज करते हुये उसका स्थानांतरण 250 कि.मी. दूर किया गया है, जो स्थानांतरण नीति एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 03.08.2025 एवं पदस्थापन आदेश दिनांक 04.08.2025 (अनुलग्नक–2) कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 04.08.2025 (अनुलग्नक–3 व 4) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिए जावें।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी वर्तमान में ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रथम के पद पर कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक भैंसरोडगढ़, जिला चित्तौडगढ़ में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 03.08.2025 के द्वारा अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर किया गया है। अपीलार्थी के राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने में 1 वर्ष 11 माह का समय शेष है और उसे राजस्थान सेवा नियम के नियम 25ए के विरूद्ध आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है। आदेश दिनांक 04.08.2025 के द्वारा अपीलार्थी को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नीथऊवा, ब्लॉक सबला, जिला डूंगरपुर पदस्थापित किया गया। आलोच्य एपीओ आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आदेश में राजस्थान सेवा नियम के नियम 25ए के अंतर्गत दिये गये कारणों के आधार पर अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में रखा जाना उचित प्रकट नहीं होता है तथा अपीलार्थी के 1 वर्ष 11 माह में राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त मामलों में पारित सिद्धांतों को दृष्टिगत रखते हुये हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी

को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य आदेश दिनांक 03.08.2025 एवं पदस्थापन आदेश दिनांक 04.08.2025 (अनुलग्नक–2) कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 04.08.2025 (अनुलग्नक–3 व 4) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है एवं अपीलार्थी के अभ्यावेदन निस्तारण होने तक वहीं पर कार्यरत रखा जावे, जहां चुनौती आदेश जारी किए जाने से पूर्व कार्यरत था। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(पूनम दरगन)
सदस्य (न्यायिक)